

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

—:: मंत्रालय ::—

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

कमांक 297/सम./ब-4/चार,  
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29.06.2020

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष राजस्व मंडल, बिलासपुर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
छत्तीसगढ़ ।

विषय — शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन  
संदर्भ — वित्त विभाग का पत्र कमांक 88/F-2015-04-02007/ब-4/चार, दिनांक  
27.05.2020 (वित्त निर्देश 12/2020)


वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञाप द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

2- उक्त निर्देश के कंडिका 2.2 (पैरा-2) में यह निर्देश है कि "पदोन्नति / क्रमोन्नति के फलस्वरूप देय एरियर्स राशि के भुगतान को वित्त विभाग के आगामी आदेश तक विलंबित रखा जाए।"

3- यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत बकाया वेतन भुगतान हेतु जारी वित्त निर्देश 44/2018 के बिन्दु कमांक 3 में शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति / मृत्यु होने की स्थिति में उनके वेतन के शेष एरियर्स का भुगतान एकमुश्त करने के निर्देश है, किन्तु शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं अनुशासन हेतु जारी वित्त निर्देश 12/2020 में इस प्रकार की कोई प्रावधान नहीं है।

4- इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन हेतु जारी वित्त निर्देश 12/2020 के बिन्दु कमांक 2.2 में भी छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत बकाया वेतन भुगतान हेतु जारी वित्त निर्देश 44/2018 के बिन्दु कमांक 3 के अनुरूप ही सेवानिवृत्ति/मृत्यु के प्रकरणों में पदोन्नति / क्रमोन्नति के फलस्वरूप देय एरियर्स राशि एकमुश्त नगद रूप से शासकीय सेवक अथवा परिवार जैसी स्थिति हो, को किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(सतीश पाण्डेय)

अपर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां. क्रमांक 298/सम. /ब-4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29.06.2020  
प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/ लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़,
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय,
9. अपर मुख्य सचिव/सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय,
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर -19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त अपर सचिव/संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला /इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ मंत्रालय,

- को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) पर अपलोड करने हेतु

  
29/06/20  
(प्रेमसिंह घरेन्द्र)

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग